न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/199/2021

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2021/475

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्री राजतिलक पाराशर पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार पाराशर, निवासी–थानागाजी, जिला–अलवर (राज.)–301022		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 08.11.2021

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः **21.12.2021**

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 09.09.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत वर्ष 2016 से दर्ज प्रकरण मन्दिर श्री हनुमानजी महाराज ग्राम–लाहाकाबास, तह. थानागाजी (अलवर) का प्रपत्र 12(क) जारी करने के संबंध में 01 लगायत 07 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांकः 01.11.2021 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। प्रत्यर्थी की ओर से किसी प्रकार का जवाब प्राप्त नहीं हुआ।
6. अतः उक्त आलोक में अपील, अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत अपील अंतर्गत वांछित सूचना, कार्यालययी अभिलेखानुसार अविलम्ब अपीलार्थी को नियमानुसार अधिप्रमाणित कर बिन्दुवार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें।
7. आज दिनांकः 21.12.2021 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया। ।

(नन्नूमल पहाड़िया)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर